dential plots have gone very high in the capital during the last one year;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government have any proposal under consideration that plots should be allotted to low-income group at cheap rates; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Yes.

(b) The reasons are influx of new population, demand for more land and good returns from urban property.

(c) and (d). Under the scheme of large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi, plots below 200 square yards are already being allotted to individuals in the low income group at reserve price by draw of lots.

Roshanara Paints and Varnish Works, Delhi

3966. Shri Maurya:
Shri Bagri:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that management of the Roshanara Paints and Varnish Works, Subzi Mandi, (Roop Nagar) are showing their Balance Sheet in loss;

(b) whether it is also a fact that the Company is earning lakhs of rupees yearly; and

(c) if so, whether Government propose to hold an inquiry into the Balance Sheet of the Company?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). There is no such information. The results shown in the Balance Sheets are being enquired into.

जमींदारी उन्मूलन अधिनियम

3967. **श्री विभूति मिश्र** : क्या योजना और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्यों में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित कर दिया है और उसको लागू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अधिनियम टाटानगर (जमशेदपुर) को छोड़ कर समस्त बिहार में लागू है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को सलाह दी थी कि टाटानगर में इसको लागू नहीं किया जाये ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) सभी राज्यों में मध्यवर्ती पट्टेदारी को समाप्त करने के कानून बनाए जा चुके हैं और सामान्यतया कार्यान्वित किए जा चुके हैं।

(ख) से (घ). बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 जिसमें मध्यवर्ती पट्टेदारी को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है, टाटानगर सहित सारे बिहार में लागू है, केवल इसमें वह भूमि शामिल नहीं है जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत औद्योगिक कार्यों के लिए अधिग्रहण की गई थीं, जिसमें काश्तकारों को दखलकारी अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, पटना के कर्मचारी

3968. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के अराजपत्रित कर्म-